

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 315/2024

**प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक- 09.10.2024

**हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 09.10.2024 को थाना अहरौला व स्वाट पुलिस टीम द्वारा पूर्व प्रधान की हत्या की घटना का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है।

**थाना-अहरौला, आजमगढ़: पूर्व प्रधान की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण; घटना में प्रयुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**घटना का पूर्व का विवरण-**

अवगत कराना है कि दिनांक 30/09/2024 को वादी मुकदमा विनोद चौहान पुत्र श्रीराम चौहान ग्राम आलमपुर थाना जनपद आजमगढ़ मय हमराह शैलेन्द्र चौहान पुत्र सुरेश ग्राम आलमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक-29/30.09.2024 की रात्रि को विपक्षी 1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र 2.अभिषेक चौहान पुत्र हरेन्द्र चौहान 3.रामसेवक चौहान पुत्र छांगुर 4. सुरेन्द्र पुत्र रामसेवक चौहान 5. हरेन्द्र पुत्र रामसेवक चौहान 6. विरेन्द्र पुत्र रामसेवक चौहान 7. अभिषेक पुत्र रामानन्द 8. धरमेन्द्र पुत्र राजमन 9. जयसिंह पुत्र रामप्यारे 10.चन्दन पुत्र जयसिंह निवासीगण ग्राम आलमपुर थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पिता श्रीराम चौहान (पूर्व प्रधान) को घर में आकर गोली मारकर हत्या कर दी गयी है, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 417/2024 धारा-103(1)/3(5) बीएनएस बनाम 1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र आदि 10 नफर पंजीकृत किया गया था।

**गिरफ्तारी/अनावरण का विवरण-**

**पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा उपरोक्त घटना का अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी अहरौला को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक- 08.10.2024 को थाना प्रभारी अहरौला मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2. रामसेवक चौहान (वर्तमान ग्राम प्रधान) पुत्र स्व0 छांगुर चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष को सोफीगढ़ पुलिया के पास से समय 16.20 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पुनः दिनांक- 08.10.2024 को थाना प्रभारी अहरौला मनीष पाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सतिराम चौहान** पुत्र शिवकुमार चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय 23.10 बजे ग्राम आलमपुर से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सतिराम चौहान उपरोक्त की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा देशी 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर को अभियुक्त के घर भसवेल से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-**

गिरफ्तार अभियुक्त सतिराम ने बताया कि (मृतक) पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के घर से मेरे घर वालो का काफी अच्छा सम्बन्ध है, मै श्रीराम चौहान प्रधान जी का विश्वसनी आदमी रहा हूँ, वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान व पूर्व प्रधान (मृतक) श्रीराम चौहान के मध्य प्रधानी रंजीश को लेकर विवाद चल रहा था, ये लोग एक दुसरे के उपर मुकदमे बाजी कर रहे थे। इसी बीच वर्ष 2024 मे पंचायत सहायक की भर्ती आयी थी जिसमे मेरे छोटे भाई की पत्नी का तीसरा स्थान था जिसकी भर्ती ग्राम प्रधान के

माध्यम से होना था जिसको लेकर मैं 02 माह पूर्व से वर्तमान प्रधान रामसेवक चौहान के घर गया तो ग्राम प्रधान रामसेवक व उनके लड़के सुरेन्द्र चौहान व प्रधान का पोता शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान मौजूद मिले तीनों मिलकर मुझे मजाक उड़ाते हुये कहे की तुम तो पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के आदमी हो हम लोग तुम्हारे परिवार को नौकरी क्यों दे जिसपर मेरे द्वारा काफी आग्रह करने पर सर्ट रखते हुये कहे कि तुम प्रतिदिन पूर्व प्रधान श्रीराम चौहान के साथ सोते बैठते हो अगर तुम उनकी हत्या कर दो तो तुम्हारे भयहु को पंचायत सहायिका की नौकरी के साथ साथ 50 हजार रुपया भी देगे। शुभम चौहान ने काफी दिन पहले श्रीराम चौहान को मारने की धमकी दिया था और जान से मारने के लिये योजना बनायी थी लेकिन सफल नहीं हो पाया था। दिनांक 29.09.2024 को पूर्व प्रधान श्रीराम का बड़ा लड़का चन्द्रभान घर पर नहीं दिखा तो मैंने प्रधान श्रीराम चौहान से पूछा की आपका लड़का चन्द्रभान नहीं दिख रहा है तो उन्होंने बताया की कहीं रिस्तेदारी मे गया है तब मेरे दिमांग मे आया की परिवार के अन्य सदस्य गांव के मकान मे सोते है आज रात्रि प्रधान और मैं अकेले मे सोयेगे आज ही इनका काम खत्म कर दिया जाये तब मैंने शाम अंधेरा होते ही वर्तमान प्रधान रामसेवक व उनके लड़के सुरेन्द्र चौहान से मिलकर योजना बतायी तो सुरेन्द्र चौहान ने कहां की तुमको मैं आज रात्रि मे ही कट्टा लाकर दुगां आज रात्रि 12.00 बजे के पास श्रीराम चौहान को सोते समय ही हत्या कर देना ताकि 12.00 रात्रि मे गांव वालो यह लगेगा की किसी ने बर्थडे मनाते समय पटखा फोरा होगा। इस योजना पर हम लोग राजी होकर अपने अपने घर चले गये मैं रोज की भांती उसी रात्रि दिनांक 29.09.2024 को 08.00 बजे प्रधान जी श्रीराम चौहान के घर गांव के बाहर वाले मकान पर सोने आया जहां पर श्रीराम चौहान उनकी पत्नी चनौता देवी मौजूद मिली उसके बाद हम लोग बात-चीत किये कुछ समय बाद प्रधान जी श्रीराम चौहान व उनकी पत्नी खाने के लिये गांव वाले घर पर चले गये। प्रधान श्रीराम चौहान समय लगभग 09.00 रात्रि को गांव वाले घर से गांव के बाहर वाले दुसरे मकान पर सोने के लिये आये हम लोग समान्य तरिके से रोज की भांती बरामदे मे अगल बगल सो गये मुझे योजना के मुताबिक नींद नहीं आ रही थी मैं अपनी मोबाइल चला रहा था करीब 12.00 बजे रात्रि मे वर्तमान प्रधान राम सेवक चौहान का लड़का सुरेन्द्र चौहान पुर्व प्रधान श्रीराम चौहान के घर कट्टा लेकर आये और मुझे देकर दिवाल की आड़ मे खडे हो गये मैं अपने चारपाई से उतर कर प्रधान श्रीराम चौहान के दाहिने तरफ जाकर चारो तरफ देखकर प्रधान श्रीराम चौहान के दाहिने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दिया और श्रीराम चौहान मौके पर ही मर गये। जिसपर सुरेन्द्र चौहान बिना कट्टा लिये ही वहा से भाग गया मैं विकलांगता के कारण मजबूरन कुछ समय तक वही पर सो गया उसके बाद देखा की आस पास के लोग जब वहा पर नहीं आये तो मैं उसी समय अपने घर जाकर कट्टा को अपने भूसवले मे छिपा कर पुनः वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गया।

### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 417/2024 धारा-103(1)/3(5) बीएनएस बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
2. रामसेवक चौहान पुत्र स्व0 छागुर चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 59 वर्ष
3. सतिराम चौहान पुत्र शिवकुमार चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ( दोनो पैरो से विकलांग है)

### बरामदगी -

- 1-एक अवैध तमंचा देशी 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त सतिराम चौहान के कब्जे से)
- 2-एक टैब ACER कम्पनी की व एक किपैड मोबाइल मटरोला कम्पनी

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- थाना प्रभारी अहरौला मनीष पाल मय हमराह थाना अहरौला आजमगढ़।
- 2- प्रभारी स्वाट प्रथम नन्द कुमार तिवारी स्वाट प्रथम जनपद आजमगढ़
- 3- Si रुपेश सिंह, Hc धर्मेन्द्र कुमार यादव, Hc पवन यादव, Hc सतेंद्र यादव, C अवनीश सिंह, C सुनिल प्रजापति, C अरुण पाण्डेय स्वाट प्रथम जनपद आजमगढ़।
- 4- Hc चन्द्रमा मिश्रा सर्विलांस सेल जनपद आजमगढ़।